HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15519/2026
CNR: RJHC020939522026 | URN: CRLMB / 28653U / 2026

Kamal S/o Harkesh, Aged About 32 Years, R/o Karodi, Police Station Mehandipur Balaji, District Dausa (Rajasthan) (Accused Is Presently Confined In Sub Jail At Hindauncity).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Manoj Kumar Avasthi
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

02/11/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र **पुलिस थाना–टोडाभीम** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **170/2024** अपराध अन्तर्गत धारा 8/21, 8/29 एन.डी.पी.एस. में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को मात्र सहअभियुक्त रामराज के कथनों के आधार पर इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के आधिपत्य से किसी प्रकार के मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई है। वास्तव में मादक पदार्थ स्मैक, जिसका वजन 5.73 ग्राम होना बताया गया है, की बरामदगी सहअभियुक्त रामराज के आधिपत्य से होना प्रकट हुआ है। प्रार्थी–अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि सहअभियुक्त रामराज के आधिपत्य से मादक पदार्थ बरामद हुआ है, वह प्रार्थी/अभियुक्त कमल से उसके द्वारा क्रय किया

गया था। उनका तर्क है कि प्रकरण में बरामदशुदा मादक पदार्थ लघु मात्रा से थोडा अधिक परन्तु वाणिज्यिक मात्रा से कम है। उनका तर्क है कि सहअभियुक्त रामराज को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्राथी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। वह दिनांक 14.9.2026 से निरन्तर अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/21, 8/29 एन.डी.पी.एस. के गम्भीर अपराधों का अभियोग है। प्रकरण में 5.783 ग्राम स्मैक बरामद हुई है तथा अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ हैं गंभीर अपराध है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि प्रकरण के सहअभियुक्त रामराज के आधिपत्य से जो मादक पदार्थ स्मैक, जिसका वजन 5.73 ग्राम बरामद हुई है, वह उसने प्रार्थी–अभियुक्त से क्रय की थी। मादक पदार्थ की उक्त मात्रा लघु मात्रा से थोडी अधिक परन्तु वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रार्थी/अभियुक्त के आधिपत्य से किसी प्रकार के मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं होना प्रकट हुआ है। सहअभियुक्त रामराज को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्राथी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। वह दिनांक 14.9.2026 से निरन्तर अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस

मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/30/JITENDRA SINGH PANWAR